

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 228/2025

1. हरप्रीत सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़।
2. रणजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़।

वादीगण

बनाम

1. जगतार सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जाटसिख निवासी शेरगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते अधीक्षक कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कन्हैया लाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 57/57 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 जगतार सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 हरप्रीत सिंह को प.न. 177/234 मु.न. 21 किला नं. 18 ता 22/1.265 है. भूमि एवं वादी संख्या 2 रणजीतसिंह को प.न. 177/234 मु.न. 21 किला नं. 2/0.164, 3,4/0.506, 5/2/0.114, 5/5/0.012 गै.मु. रास्ता 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता , 7/0.253 कुल 1.302 है. नहरी मय गै.मु. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का इतना हिस्सा कम कर वादीगण का खाता उक्तानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......
अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...26.5.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

